भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

सार्वजनिक सूचना Public Notice No. 04 /2017

विषय : राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल) योजना का कार्यान्वयन।
Sub: Implementation of Rebate of State Levies (ROSL) Scheme

1. सभी आयातकों/सीमाशुल्क ब्रोकरों/ व्यापार जगत के सदस्यों का ध्यान कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 12015/47/2016-IT दिनांक 03.01.2017 के तहत अधिसूचित निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल) योजना की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार (कपड़ा मंत्रालय) ने अधिसूचना सं. 12015/47/2016-IT दिनांक 15.03.2017 को जारी किया है इसमें अनुसूची 3 में छूट की दरें भी अधिसूचित की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने परिपत्र 08/2017-Cus दिनांक 20.03.2017 जारी किया है जिसमें इस योजना को लागू करने के संबंध में मार्गदर्शी रूपरेखा दी गई है।

Attention of all Exporters/Customs Brokers/Members of Trade is invited to the Scheme for implementation of Rebate of State Levies on export of made-ups (ROSL –Made-ups) notified vide Notification No. 12015/47/2016-IT dated 03.01.2017 by Ministry of Textiles. Further, the Central Government (Ministry of Textiles) has issued Notification No. 12015/47/2016-IT dated 15.03.2017 notifying the rates of rebate in Schedule 3. Additionally, Central Board of Excise & Customs (CBEC) Circular 08/2017-Cus dated 20.03.2017 which provides the guideline framework for implementation of this scheme.

2. **निर्मित वस्तुओं के लिए आ.ओ.एस.एल. योजना / ROSL for Made-ups Scheme**:

आरओएसएल योजना के तहत, धागे से लेकर तैयार निर्मित वस्तुओं तक उत्पादन के विभिन्न स्तरों के माध्यम से संचित पैकेजिंग, ईंधन, बिजली उत्पादन पर शुल्क और ग्रिड की बिजली खरीदने के लिए शुल्क और प्रभारों पर राज्य वैट/सीएसटी सहित राज्यों द्वारा वसूले जा रहे शुल्कों में केंद्र सरकार द्वारा छूट देने

का प्रावधान है। नौवहन बिल में निश्चित विकल्प चुनने को छोड़ कर अलग से आवेदन देने या समर्थन दस्तावेज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोसेसिंग के बाद छूट की राशि निर्यातक के शुल्क वापसी के लिए उल्लिखित बैंक खाते में स्वत: जमा हो जाएगी।

In the ROSL Scheme, the Central Government provides Rebate of State Levies comprising of State VAT/CST on inputs including packaging, fuel, duty on electricity generation and duties and charges on purchase of grid power, as accumulated through the stages of production from yarn to finished made-ups. There is no need of separate application or supporting documents except for making a specific choice in the Shipping Bill. The rebate amount would be credited into the Exporter's Bank Account mentioned for drawback automatically after processing.

किसी निर्यातक के लिए आरओएसएल योजना अनिवार्य नहीं है। इसलिए दर और छूट की पात्रता के संबंध में घोषणा देकर (उपर्युक्त परिपत्र में शामिल) निर्यातक को बोधपूर्वक नौवहन बिल में छूट का दावा करते हुए आरओएसएल योजना का विकल्प चुनना होगा।

The ROSL Scheme is not mandatory for an exporter. Therefore, an exporter has to make a conscious choice to opt for the ROSL Scheme (including under the aforementioned Circular) along with a declaration of eligibility for the rate and rebate.

3. निर्यातक को दवा सह पात्रता घोषणा मद के स्तर पर शुल्कवापसी निर्यात के लिए निर्दिष्ट योजना कोड का प्रयोग करते हुए करनी चाहिए। आरओएसएल योजना के क्रम में विकल्पों के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार अलग योजना कोड दिए गए हैं।

The claim cum declaration of eligibility has to be made by the exporter by using specified scheme codes for drawback exports, at the item level. The options in permutation with the ROSL Scheme are being provided with separate scheme codes as listed below:

योजना कोड Scheme Code	**विवरण Description**
60	Drawback and ROSL
61	EPCG, Drawback and ROSL

ईडीआई नौवहन बिल के लिए निर्यात के समय आरओएसएल वाले योजना-कोड को चुनना ही दावा सह पात्रता घोषणा करने के लिए काफी होगा। ईडीआई बिल के लिए यह स्वीकार किया जाएगा। ऐसे नौवहन बिल, जो दिनांक 23.03.2017 से पहले दायर किए गए हों लेकिन जिन के लिए 23.03.2017 को या इसके बाद एलईओ दी गई हो, भी आरओएसएल के लिए पात्र हैं। इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे नौवहन बिलों, जिनमें योजना कोड का दावा नहीं किया है, को एलईओ से पहले संशोधित करना होगा। उचित योजना कोडों के न होने पर आरओएसएल का लाभ नहीं मिलेगा।

For EDI Shipping Bill, selection of the Scheme Code involving ROSL Scheme at the time of export shall itself amount to making claim cum declaration of eligibility. For EDI Shipping Bill this accepted. Shipping Bills which are filed prior to 23.03.2017 but for which LEO is given on or after 23.03.2017 are also eligible for ROSL. Such Shipping Bills which have not claimed the scheme code as listed above, may need to be amended before LEO to avail this benefit. In the absence of proper scheme codes, the ROSL benefit would not be available.

4. **आरओएसएल छूट / ROSL REBATE**:

एफओबी मूल्य और आरओएसएल योजना में निर्धारित छूट ओर इसकी सीमा का प्रयोग कर के छूट की राशि का आकलन किया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए सीबीईसी परिपत्र 08/2017-कस का संदर्भ लें)। यह योजना परिधारों के लिए आरओएसएल का विस्तार है, इसलिए परिधानों के लिए आरओएसएल पर लागू सभी परिवर्तन आवश्यक फेर-बदलों सहित निर्मित वस्तुओं के लिए आरओएसएल पर भी लागू हैं।

The amount of rebate is calculated using the FOB value and the rates and caps of rebate specified in the ROSL Scheme. (For further details refer to CBEC Circular 08/2017-Cus). As the Scheme is extension of ROSL for garments, all changes applicable to ROSL for garments apply mutatis mutandis to ROSL for made-ups.

5. **आरओएसएल का लाभ उठाना सुनिश्चित करना / ENSURING AVAILMENT OF ROSL**:

निर्यातकों को उनके विकल्पों को सिस्टम में सही रूप से दर्शाए जाने की पुष्टि करने के लिए नौवहन बिल चेकलिस्ट और आईसीईजीएटीई में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

The following changes have been made in the Shipping Bill Checklist and ICEGATE for Exporters to confirm that their choice has been reflected correctly in the system.

1. जहां योजना कोड दे कर विकल्प चुना गया है, वहां नौवहल बिल स्तर के साथ-साथ मद के स्तर पर भी आरओएसएल राशि प्रिंट की जाती है।

   The ROSL Amount is printed at the Shipping Bill Level as well as at the item level for the items where option has been exercised by giving scheme code.

2. आईसीईजीएटीई वेबसाइट पर उपलब्ध एसबी इन्क्वायरी में विकल्प और इसप्रकार दावा की गई कुल आरओएसएल राशि दर्शाई जाती है।

   The option and total ROSL amount thus claimed is reflected in the SB Enquiry available on the ICEGAT website.

3. नीचे दिए अनुसार घोषणा सह पात्रता चेकलिस्ट पर मुद्रित है।

Declaration-cum-eligibility as detailed below is printed on the checklist.

मैं घोषित करता हूं कि मैंने किसी अन्य तंत्र के तहत इन नियत राज्य लेवियों के लिए उधार/छूट/धनवापसी/ प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है या नहीं करूंगा और मैं दावा की गई दर और छूट के लिए पात्र हूं। इसके अलावा, यह भी घोषित करता हूं कि जहां भी लागू हो, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई है।

I declare that, I have not claimed or shall not claim credit/ rebate/ refund/ reimbursement of these specific State Levies under any other mechanism and I am eligible for the rate and rebate claimed for. Further, declare that an Internal Complaints Committee (ICC) where applicable, in pursuance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been constituted.

आरईएस वेंडरों यह सुनिश्चित करें कि उनके आरईएस प्रारूप (1) और (3) में ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों का अनुवर्तन करते हों। एसबी मेसेज फोर्मेट को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।

RES vendors may ensure that their RES versions are complaint to changes in (1) & (3) as stated above. SB Message format has also been revised accordingly.

6. **<u>आरओएसएल वितरण</u> / <u>ROSL DISBURSAL</u>**:

आरओएसएल का वितरण परिधानों के लिए आरओएसएल के समान प्रकार से किया जाएगा। त्वरित वितरण के लिए, निर्यातकों यह सुनिश्चित करना है कि शुल्कवापसी वितरण के लिए पहले पंजीकृत खाता संख्या चल रही है और वैध है क्योंकि आरओएसएल का वितरण उसी खाते में किया जाएगा। यह विरतण शुल्कवापसी के समानांतर होगा लेकिन अलग से किया जाएगा। तथापि, ईडीआई आरओएसएल स्क्रोल को भुगतान के लिए सीधे बैंक में नहीं भेजा जाएगा। वितरण की स्थिति के बारे में आईसीईजीएटीई पर अलग से दर्शाया जाएगा।

ROSL would be disbursed in similar manner as ROSL for garments. For speedy disbursal, Exporters may ensure that the Account Number already registered for drawback disbursal is live and valid, as the ROSL disbursal would be made to the same account. The disbursal shall be in parallel with drawback albeit separately. However, the EDI ROSL Scroll should not be sent to Bank directly for payment. The status of disbursal would be displayed on ICEGAT separately.

उपर्युक्त परिवर्तन 23 मार्च, 2017 से लागू होंगे। योजना का विस्तृत ब्यौरा उपर्युक्त परिपत्रों के पैरा 1 में देखा जा सकता है। कोई कठिनाई हो, तो सिस्टम प्रबंधक, सीमाशुल्क गृह, कोचिन को "sysmgr.cok1@icegate.gov.in" पर या सिस्टम्स एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय को "nsm.ices@icegate.gov.in" पर सूचित करें।

The above changes would be effective from the 23rd March 2017. The details of the scheme can be found in the aforementioned circulars in Para 1.Difficulties, if any, may be flagged to System Manager, Custom House, Cochin at "sysmgr.cok1@icegate.gov.in" or Directorate of Systems & Data Management at "nsm.ices@icegate.gov.in".

Sd/-

अनिलकुमार एस ANIL KUMAR S

सीमाशुल्क अपर आयुक्त

ADDL.COMMISSIONER OF CUSTOMS

F No: EDP/7/2010 Cus Pt-I
तारीख Dated: 27.03.2017

//ATTESTED//

27/3/2017

SAJEEB HUSSAIN AL
Supdt. Of Customs (EDI)

प्रतिलिपि सेवा में Copy to :

1. Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone
2. Addl. Commissioner of Customs & System Manager, Custom House, Cochin.
3. All ACs/DCs, Custom House, Cochin
4. Tariff Unit
5. CCU
6. Notice Board / Website.